

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कजोड बनाम सुरेन्द्र कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 334/2025 (भिनाय)

दिनांक 29.11.25
GA-2

शिवकुमार चौधरी

19.11.25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं रेसपो. उपस्थित।
राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य
स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते
दिनांक 25/11/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

25/11/25


पत्रावली पेश की गई। वकूलाह उपल
पत्रावली कच्चे पूर्वानुसार वास्ते कलम प्राव्य
द्वारा 5 मिनट शकिक व कलम अपील दिनांक
29/11/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

28.11.25

पत्रावली पेश की गई। अधिभाषक अपीलांट एवं
अपीलांट उपस्थित नहीं। अधिभाषक अपीलांट एवं
अपीलांट को कई बार कठ-कठ कर सावाज
दिलवाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं। अतः अपील
अपीलांट मद्रप. हाजरी मद्रप. पेशी के खारिज
की जाती है। पत्रावली के मलरुपाए होकर 12/11/25
से कप हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



श्री शिवधाम चर्चिता
अपील का फा
जायें रिवॉर
प्र. ६५
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बजयें
11.7.25

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर
अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 334/2025 जिला अजमेर

2025/334

कजोड पुत्र केला जाति रेगर निवासी गुच्ची नाडी के सामने रेगर मोहल्ला
कोटिया रोड ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।

—अपीलांट

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास कासोटिया जाति रेगर निवासी इन्द्रा
कॉलोनी तहसील विजयनगर जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय भिनाय
जिला अजमेर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

334/2025
11.7.25

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरुद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी महोदय, भिनाय दिनांक 12.6.2024 जो प्रकरण
संख्या 147/2022 बउनवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम कजोड व
अन्य में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है :-

- (अ) यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट
संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अपीलांट व
राज्य सरकार के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवलियाकलां
पटवार हल्का देवलियाकलां भू-अभिलेख निरीक्षक देवलियाकलां
तहसील भिनाय में अवस्थित जो कि जमाबंदी सवत् 2073 से 2076